

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल

16वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त

तिथि : 26.03.2022 (दिन शनिवार)
समय : 04:00 बजे (अपरान्ह)
स्थान : सर्किट हाउस, हल्द्वानी।
फोन : 05942— 232800
फैक्स : 05942— 236042

e-mail I.D- secretaryldanainital@rediffmail.com

आज दिनांक 26 मार्च, 2022 (दिन शनिवार) को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 16वीं बोर्ड बैठक सर्किट हाउस, काठगोदाम, जिला-नैनीताल में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

- | | |
|---|------------------------|
| 1. श्री दीपक रावत, आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल | - अध्यक्ष |
| 2. श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी, उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल | - उपाध्यक्ष |
| 3. श्री अशोक कुमार जोशी, अपर जिलाधिकारी, नैनीताल
(जिलाधिकारी, नैनीताल के प्रतिनिधि) | - सदस्य (पदेन) |
| 4. श्री पंकज कुमार उपाध्याय, नगर आयुक्त, नगर निगम, हल्द्वानी | - सदस्य (पदेन) |
| 5. श्री ए0के0 कटारिया, अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम, नैनीताल
(प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संशाधन एवं निर्माण निगम, देहरादून के प्रतिनिधि) | - सदस्य (पदेन) |
| 6. श्री हेम काण्डपाल, कोषाधिकारी, नैनीताल
(सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के प्रतिनिधि) | - सदस्य (पदेन) |
| 7. श्री हरिशंकर सिंह बिष्ट,
(मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून के प्रतिनिधि) | - सदस्य (पदेन) |
| 8. श्री धीरेन्द्र रावत, पार्षद, नगर निगम, हल्द्वानी। | - सदस्य
(निर्वाचित) |
| 9. श्री प्रमोद सिंह टोलिया, पार्षद, नगर निगम, हल्द्वानी। | - सदस्य
(निर्वाचित) |

बैठक के संचालन एवं सहयोग हेतु उपस्थिति:-

1. श्रीमती ऋचा सिंह, संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी।
2. श्रीमती पूजा नेगी, मुख्य वित्त अधिकारी, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
3. श्री सी0एम0 साह, परियोजना अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
4. श्री सतीश कुमार चौहान, प्रभारी सहायक अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।

सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया। बैठक का कोरम पूर्ण होने पर अध्यक्ष की अनुमति से 16वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं का क्रमशः प्रस्तुतीकरण प्रारम्भ किया गया। एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

मद संख्या- 16.01

15वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की 15वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03.01.2022 की कार्यवाही कार्यालय के पत्र संख्या-2035/नैजिविप्रा/एक-2021/पन्द्रहवीं बो0बै0/2021-22 दिनांक 21 जनवरी, 2022 द्वारा बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की गयी। प्रेषित कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुयी है। अतः 15वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। अतः सर्वसम्मति से 15वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

19/

मद संख्या- 16.02

15वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की 15वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन पर चर्चा की गयी। बोर्ड द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त गत बैठक में लिये निर्णयों के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या- 16.03

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल का वित्तीय वर्ष 2021-22 का वास्तविक आय-व्यय दिनांक 28.02.2022 तक एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तावित बजट के आय-व्यय का विवरण।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल का वर्ष 2021-22 हेतु पुनरीक्षित प्रस्तावित बजट के अन्तर्गत ₹3690.41 लाख आय एवं ₹3758.50 लाख व्यय का प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष दिनांक 28.02.2022 तक कुल आय ₹2011.75 लाख तथा व्यय ₹ 2060.49 लाख का हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कुल आय ₹3831.41 लाख एवं कुल व्यय ₹ 3460.00 लाख का प्राविधान करते हुये वास्तविक एवं प्रस्तावित आय-व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु यथाप्रस्तावित वार्षिक बजट का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या- 16.04

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि संशोधन-2021 के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग-2, देहरादून की अधिसूचना संख्या-40/V-2/2022- 55(आ0)/2006 टी0सी0-1 दिनांक 07 जनवरी, 2022 के अंगीकरण के सम्बन्ध में।

सचिव, उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग-2, देहरादून की अधिसूचना संख्या-40/V-2/2022- 55(आ0)/2006 टी0सी0-1 दिनांक 07 जनवरी, 2022 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) में अग्रेत्तर संशोधन करते हुये भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2021 प्रख्यापित की गयी।

उक्त अधिसूचना में निर्देश दिये गये हैं कि उक्त उपविधि को सम्बन्धित प्राधिकरण अपने बोर्ड से स्वीकृत कराते हुये अंगीकृत करेंगे। यदि किसी प्राधिकरण को स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत उपविधि में किसी प्रकार के संशोधन/परिवर्तन/परिवर्द्धन की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित प्राधिकरण तद्विषयक संशोधन के प्रस्ताव को औचित्य सहित प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के साथ शासन को उपलब्ध करायेंगे।

अतः उक्तानुसार संशोधित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2021 हेतु निर्गत अधिसूचना को यथाप्रस्तावितनुसार जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत अंगीकरण किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को यथाप्रस्तावितानुसार अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

19

मद संख्या- 16.05

माउण्ट वैली फाउण्डेशन सोसाईटी द्वारा अध्यक्ष डॉ० अनिल तिवारी द्वारा ग्राम-नगारीगांव, तहसील व जिला-नैनीताल के खाता संख्या-161 के खेत संख्या-1233, 1234, 1235, 1236अ, 1237अ, 1226अ, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246 मध्ये रकबा 0.691 है० अर्थात् 6910.00 वर्गमीटर एवं खाता संख्या-233 के खेत संख्या-1248 एवं 1249अ मध्ये रकबा 0.961 है० अर्थात् 9610.00 वर्गमीटर सहित कुल रकबा 16520.00 वर्गमीटर में उच्च शिक्षण संस्थान के अन्तर्गत निजी विश्वविद्यालय हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

मै० माउण्ट वैली फाउण्डेशन द्वारा अध्यक्ष, श्री अनिल तिवारी ग्राम-नगारीगांव, तहसील व जिला-नैनीताल के खाता संख्या-161 के खेत संख्या-1233, 1234, 1235, 1236अ, 1237अ, 1226अ, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246 मध्ये रकबा 0.691 है० अर्थात् 6910.00 वर्गमीटर एवं खाता संख्या-223 के खेत संख्या-1248 एवं 1249 अ मध्ये रकबा 0.961 है० अर्थात् 9610.00 वर्गमीटर सहित कुल रकबा 16520.00 वर्गमीटर में उच्च शिक्षण संस्थान के अन्तर्गत निजी विश्वविद्यालय निर्माण के लिये मानचित्र स्वीकृति हेतु ऑनलाईन मानचित्र आवेदन संख्या-NDA/NC/0066/21-22/RE1 दिनांक 25.10.2021 को प्रस्तुत किया गया। आवेदक संस्था द्वारा एकल खिड़की के माध्यम (CAF) से प्राप्त अनापत्तियां यथा-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पावर कार्पोरेशन, अग्नि शमन विभाग व राजस्व विभाग की अनापत्तियां संलग्न की गयी।

सोसाइटी के नवीनीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, देहरादून के पत्र संख्या-M26/XXIV (3)/2019-13(05)/ 2018 दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 द्वारा निर्गत आशय पत्र (एल०ओ०आई०) की अवधि वर्ष 2022 तक विस्तारित की गयी है। मानचित्र आवेदन के क्रम में आवेदक संस्था को कतिपय आपत्तियां सूचित की गयी थी। आवेदक द्वारा दिनांक 29.11.2021 को आपत्तियों का निराकरण करते हुये संशोधित मानचित्र एवं वन विभाग का अनापत्ति-प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त के दृष्टिगत मानचित्र के तकनीकी जाँच सम्बन्धी विवरण निम्न प्रकार है:-

1. **भू-स्वामित्व**- प्रस्तुत विक्रय-पत्र दिनांक 22.07.2020, 15.06.2021 एवं 25.06.2021 व संलग्न खतौनियों के आधार पर ग्राम-नगारीगांव, तहसील व जिला-नैनीताल के खाता संख्या-161 एवं 233 मध्ये विभिन्न खसरा नम्बरों में कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 16520.00 वर्गमीटर का स्वामित्व आवेदक संस्था के नाम दर्ज अभिलेख हैं। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	खाता संख्या	खसरा संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
1.	161	1233, 1234, 1235, 1236अ, 1237अ, 1226अ, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246	6910.00
2.	233	1248 एवं 1249 अ	9610.00
	कुल		16520.00

आवेदक संस्था द्वारा स्वामित्व भूखण्ड क्षेत्रफल 16520.00 वर्गमीटर के सापेक्ष 16517.50 वर्गमीटर में निजी विश्वविद्यालय का मानचित्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है तथा राजस्व उपनिरीक्षक, भीमताल द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड को सजरा प्लान पर आंतरित कर प्रमाण-पत्र अंकित करते हुये प्रस्तुत किया गया है। भूमि शैक्षिक/उद्योग हेतु विशेष श्रेणी-1(ग) के अन्तर्गत दर्ज अभिलेख है।

2. **भू-उपयोग-** प्रश्नगत स्थल भीमताल महायोजना के तहत "कृषि हरित पट्टी" भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शित है। महायोजना के परिक्षेत्रीय विनियमन के बिन्दु संख्या-13.3.8 के बिन्दु-(ख) विकास प्राधिकरण की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग के बिन्दु-36 के अनुसार "विशिष्ट शिक्षण संस्थाएँ जैसे-मेडिकल, तकनीकी तथा उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थाएँ" अनुमन्य हैं।

आवेदक संस्था द्वारा निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तुत मानचित्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो कि प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति पर अनुमन्य है।

3. **पहुँच मार्ग-** प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 (संशोधन-2019) के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में विश्वविद्यालय स्थापना हेतु न्यूनतम 7.50 मी0 चौड़ा पहुँच मार्ग होना आवश्यक है।

प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड हेतु 7.50 मी0 चौड़ा मार्ग प्रदर्शित किया गया है। संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण अनुभाग-2, देहरादून के पत्र संख्या-1187/111(2)/19-57 (एम0एल0ए0)/ 2017 दिनांक 27 फरवरी, 2019 द्वारा प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत नैनीबैण्ड तिरछाखेत मोटर मार्ग के किमी0 02 से ऐड़ी मंदिर के पास माउण्ट वैली फाउण्डेशन विश्वविद्यालय हेतु मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल द्वारा मार्ग निर्माण की कार्यवाही गतिमान है।

4. **पार्क एवं हरित क्षेत्र-** प्रचलित भवन उपविधि के बिन्दु-5.3 (vi) के अनुसार संस्थागत, सामुदायिक सुविधाएँ, क्रीड़ा स्थल, /खुले क्षेत्रों तथा पार्क के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर ग्रीनरी होगी जहाँ न्यूनतम 125 पेड़ प्रति हैक्टेयर की दर से पेड़ लगाये जायेंगे।

प्रस्तुत मानचित्र प्रस्ताव में ग्रीनरी हेतु कुल भूखण्ड क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत ग्रीन पार्क के सापेक्ष 1720.64 वर्गमीटर आरक्षित किया गया है जिस पर विनियमानुसार वृक्षारोपण किये जाने का प्राविधान किया गया है।

5. **तकनीकी विवरण-** प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार विश्वविद्यालय हेतु न्यूनतम 20000.00 वर्गमीटर भूखण्ड क्षेत्रफल आवश्यक है परन्तु संस्थागत/शैक्षिक एवं चिकित्सा श्रेणी में सक्षम संस्थाओं से सम्बद्धता होने की स्थिति में सक्षम संस्थाओं द्वारा निर्धारित मानक अनुमन्य होंगे। प्रकरण के सम्बन्ध में निजी विश्वविद्यालय हेतु उत्तराखण्ड शासन, उच्च शिक्षा (नवसृजित अनुभाग), देहरादून के शासनादेश संख्या-391/XXIV(N)-(68/12)/2015 दिनांक 16 अप्रैल, 2016 के बिन्दु-5 के द्वारा निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु भूमि के मानक निर्धारित किये गये हैं जिसके अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में 2.5 एकड़ भूमि (अधिकतम तीन समीपवर्ती स्थानों पर 05 कि0मी0 के भीतर) अर्थात् 10117.14 वर्गमीटर भूमि आवश्यक है जिसके सापेक्ष 16517.00 वर्गमीटर पर तकनीकी जाँच हेतु बिन्दु निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	मद	विनियमानुसार	मानचित्र में प्रस्तावित
1.	भूखण्ड क्षेत्रफल न्यूनतम	10117.14 वर्गमी0	16517.50 वर्गमीटर
2.	पहुँच मार्ग	7.50 मी0	7.50 मी0 (लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड,

19

			नैनीताल द्वारा स्थल पर 7.50 मी० चौड़ी सड़क के अनुसार कटान किया जा चुका है, अग्रेत्तर कार्य प्रगति पर है।)
3.	सैट बैंक		
	(i) अग्र	12.00 मी०	12.00 मी०
	(ii) पृष्ठ	6.00 मी०	6.00 मी०
	(iii) पार्श्व-1	6.00 मी०	6.00 मी०
	(iv) पार्श्व-2	6.00 मी०	6.00 मी०
4.	भू-आच्छादन	35%	19.61% (3238.87 वर्गमीटर)
5.	त०क्ष०अ० (एफ०ए०आर०)	1.10	0.57 (भूतल 3238.87 वर्गमीटर, प्रथम तल 3124.87 वर्गमीटर एवं द्वितीय तल 3084.90 वर्गमीटर सहित कुल आच्छादित क्षेत्रफल 9448.64 वर्गमीटर है।
6.	भवन की कुल ऊँचाई— (मार्ग की चौड़ाई + अग्र सैट बैंक का डेढ़ गुना)	12.00 मी० एवं ढालदार छत 1.50 मी० अतिरिक्त अनुमन्य।	भवनों की अधिकतम ऊँचाई 10.95 मी० है एवं ढालदार छत हेतु 1.50 मी० अतिरिक्त है।
	भूतल आन्तरिक ऊँचाई	3.50 मी०	3.50 मी०
	प्रथम तल आन्तरिक ऊँचाई	3.50 मी०	3.50 मी०
	द्वितीय तल आन्तरिक ऊँचाई	3.50 मी०	3.50 मी०
7.	पार्किंग—	न्यूनतम 1.50 ई० सी० एस० प्रति 100 वर्गमीटर कवर्ड क्षेत्रफल पर अर्थात् 9448.64 वर्गमीटर आच्छादित क्षेत्रफल हेतु 143.00 ई० सी० एस० एवं पर्वतीय क्षेत्रों हेतु 25 प्रतिशत छूट उपरान्त 107 ई० सी०एस० पार्किंग आवश्यक।	प्राविधानित—107 ई०सी०एस०
8.	ब्लॉक के मध्य दूरी	12.00 मी० ऊँचाई तक के भवनों हेतु 3.00 मी० दूरी आवश्यक।	3.00 मी० से अधिक।
9.	वर्षाजल भण्डारण	94.50 घनमीटर	7718.00घनमीटर

10.	वृक्षों से दूरी	न्यूनतम 3.00 मी0	वृक्षों से 3.00 दूरी उपरान्त निर्माण प्रस्तावित। वन क्षेत्राधिकारी, भवाली वन क्षेत्र भवाली के पत्रांक-185II/41-1, ना0प्रा0 दिनांक 30.11.2021 द्वारा अनापत्ति निर्गत है।
11.	विद्युत लाईन से दूरी	2.00 मी0 दूरी आवश्यक है।	स्थल के एक छोर से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसे स्थानान्तरित किये जाने हेतु आवदेक संस्था द्वारा विद्युत विभाग में निर्धारित धनराशि ₹2,56,072.00 को दिनांक 14.12.2021 को जमा करते हुये रसीद प्रस्तुत की गयी है। अतः प्रतिबन्ध होगा कि विद्युत लाईन स्थानान्तरित होने के उपरान्त ही विनियमनुसार दूरी के उपरान्त ही भवन निर्माण किया जायेगा।

6. **सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट**— प्रस्तावित विश्वविद्यालय परिसर अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट निस्तारण हेतु Segregation at the source की व्यवस्था स्थानीय नगर निकाय Solid Waste Management Rules 2000 Rule 1(2) का प्राविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार स्थल पर व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
7. **जल-मल निस्तारण**— स्थल पर एस0टी0पी0 का प्राविधान सुनिश्चित करना होगा।
8. यदि परियोजना में 500.00 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र को कंडिशनड किया जाता है तो उरेडा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9. सोलर वाटर हीटर संयन्त्र की स्थापना, सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र एवं प्रणाली "ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्ड (B.I.S.) I.S. 12.09.33 के अपेक्षाओं के अनुसार सुनिश्चित करनी होगी।

उपरोक्तानुसार भीमताल महायोजना में "कृषि हरित पट्टी" भू-उपयोग अन्तर्गत निजी विश्वविद्यालय (उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान) का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड से अनुमन्य होने के दृष्टिगत प्रस्ताव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 15वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03.01.2022 के मद संख्या-15.09 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सहयुक्त नियोजक, हल्द्वानी का अभिमत एवं संस्था द्वारा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

प्राधिकरण बोर्ड में लिये गये निर्णय के अनुपालन में सहयुक्त नियोजक, हल्द्वानी को कार्यालय पत्रांक- 2050 दिनांक 27.01.2022 एवं पत्र संख्या-959 दिनांक 05.02.2022 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर अभिमत हेतु पत्र प्रेषित किया गया तथा मै0 माउण्ट वैली फाउण्डेशन को कार्यालय पत्र संख्या-2051 दिनांक 27.01.2022 द्वारा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

सहयुक्त नियोजक, हल्द्वानी द्वारा अपने पत्रांक- 1048 दिनांक 03 मार्च, 2022 द्वारा अभिमत प्रस्तुत किया गया है जिसमें उल्लेख है कि प्रस्तुत उच्च शिक्षण संस्थान के अन्तर्गत निजी विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर निम्न वर्णित प्रतिबन्धों/कार्यवाही को पूर्ण किया जाना उचित होगा:-

- (i) प्रश्नगत उच्च शिक्षण संस्थान के अन्तर्गत निजी विश्वविद्यालय प्रस्ताव का भू-स्वामित्व माउण्ड वैली फाउण्डेशन सोसाईटी द्वारा अध्यक्ष, डॉ0 अनिल तिवारी को होने तथा भूखण्ड समक्ष दर्शाये गये विद्यमान मार्ग की चौड़ाई की

पुष्टि तथा प्रस्तुत प्रस्ताव किसी तलपट मानचित्र का भाग नहीं होने एवं भूखण्ड अन्तर्गत राजकीय भूमि अर्थात् चक मार्ग, नाला अथवा गूल इत्यादि नहीं होने की पुष्टि/अनापत्ति आवश्यक होगी।

- (ii) भवन को भूकम्प, अग्नि इत्यादि से सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं के सम्बन्ध भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 (संशोधन-2015) के बिन्दु संख्या-4.4 (ii), (iv), 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8 तथा 6.9 में दिये गये प्राविधान का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।
- (iii) भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 (संशोधन-2015) के बिन्दु संख्या-5.3 (iii) (vi) में संस्थागत, सामुदायिक सेवायें, क्रीडास्थल/खुले क्षेत्रों तथा पार्क के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर ग्रीनरी किये जाने का प्राविधान किया गया है, जहाँ न्यूनतम 125 वृक्ष प्रति हे० की दर से वृक्षारोपण की व्यवस्था की गई है। उक्त प्राविधान का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।
- (iv) प्रस्तुत मानचित्र प्रस्तावित निर्माण का होने के दृष्टिगत प्रस्तावित स्थल पर निर्माण न होने की पुष्टि आवश्यक होगी।
- (v) प्रस्तुत मानचित्र के साईट प्लान में भूखण्ड का सेक्शन दिया गया है। भूखण्ड का ढाल 30.00 अंश से अधिक नहीं होने की पुष्टि प्राधिकरण स्तर से कराया जाना आवश्यक होगा।
- (vi) मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दायर जनहित याचिका संख्या-119 /2013 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2018 के क्रम में विधिसंगत होने पर ही स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित होगी।

अतः प्राधिकरण की 15वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में सहयुक्त नियोजक द्वारा प्रस्तुत अभिमत एवं संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण के क्रम में भीमताल महायोजना में "कृषि हरित पट्टी" भू-उपयोग अन्तर्गत निजी विश्वविद्यालय (उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान) का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड से अनुमन्य होने के दृष्टिगत प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- संस्था के प्रतिनिधि द्वारा विश्वविद्यालय हेतु प्रथम चरण हेतु प्रस्तावित निर्माण एवं विभिन्न कोर्स का प्रस्तुतीकरण किया गया तथा द्वितीय एवं तृतीय चरण हेतु प्रस्तावित कोर्स का विवरण भी प्रस्तुत किया गया।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड का मत है कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय में व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए यथा-फेज-3 में प्रस्तावित कोर्सों को सम्मिलित करते हुये संशोधित मानचित्र प्राप्त कर लिया जाए व तदनुसार ही स्वीकृति जारी किये जाने निर्देश के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या- 16.06

श्री तेजपाल सिंह आनन्द पुत्र स्व० श्री केशर सिंह आनन्द द्वारा सरोज भवन वर्ड्स आई व्यू, तल्लीताल, नैनीताल स्थित जीर्ण-क्षीर्ण भवन के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 15वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03.01.2022 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में पुनर्निर्माण हेतु गठित समिति की आख्या प्राप्त कर प्रकरण पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्री तेजपाल सिंह आनन्द पुत्र स्व० श्री केशर सिंह आनन्द द्वारा सरोज भवन, वर्ड्स आई व्यू, तल्लीताल, नैनीताल स्थित दो मंजिले विद्यमान एकल आवासीय भवन, के पुनर्निर्माण कि स्वीकृति हेतु बैनामे की प्रति, नगर पालिका का दाखिल-खारिज की प्रति सहित दिनांक 02.09.2021 को मानचित्र आवेदन संख्या-06/2021 प्रस्तुत किया गया है।

प्रश्नगत भूखण्ड का प्रस्तुत मानचित्र में दर्शाये गये की-प्लान एवं आंशिक महायोजना मानचित्र में दर्शायी स्थिति के अनुसार प्रश्नगत स्थल नैनीताल महायोजना में वाणिज्यिक क्षेत्र बाजार एवं जी०एस०आई० के जोन-3 के अन्तर्गत प्रदर्शित है जिसमें वर्तमान में निर्मित आवासीय भवनों का पुनर्निर्माण अनुमन्य है।

महायोजना के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार वाणिज्यिक क्षेत्र बाजार भू-उपयोग अन्तर्गत में अनुमन्य उपयोग-रीटेनिंग वाल, ब्रेस्ट वाल, वर्तमान में निर्मित आवासीय भवनों का जीर्णोद्धार या आवासीय भवन का उसी नींव पर विद्यमान कुल आच्छादित क्षेत्र की सीमा तक पुनर्निर्माण। विशेष परिस्थितियों में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित उपयोग-क्योस्क व स्टाल पर्यटन के प्रासांगिक क्रियाओं के स्थानीय निवासियों द्वारा अपने निजी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु निर्मित आवासीय भवनों का विस्तार अनुमन्य है।

उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग-2 के पत्र संख्या-591/v/ आ०-2015-138 (आ०)/2008, दिनांक 01 मई, 2015 द्वारा नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत हेतु स्वीकृत भवन उपविधि में पुनर्निर्माण (बाजार क्षेत्र में) में वर्णित है कि-

“वाणिज्य बाजार यूज जोन में स्थित भवन के पुनर्निर्माण की दशा अग्र सैट बैंक न्यूनतम 1.20 मी० छोड़ा जाना अनिवार्य होगा यदि भवन के अग्रभाग में नियमानुसार 1.20 मी० या इससे अधिक सैट बैंक पुनर्निर्माण से पूर्व छोड़ा गया है तो अधिकतम छोड़ा गया सैट बैंक अनुमन्य होगा। भवनों की विद्यमान ऊँचाई एवं तलों की संख्या, बेसमेंट एवं मैजनीन फ्लोर (यदि कोई हो) में कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी। यदि पुनर्निर्माण हेतु प्रस्तावित भवन के पार्श्व-1 एवं पार्श्व-2 एवं पृष्ठ सैट बैंक में स्थित अन्य भवन इससे सटे हुये हैं तो पुनर्निर्माण हेतु भवन का मात्र अग्र सैट बैंक 1.20 मी० छोड़ना अनिवार्य होगा।

चूंकि प्रश्नगत प्रकरण पुनर्निर्माण से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की चतुर्थ बोर्ड बैठक दिनांक 07.08.2018 में पारित निर्णय द्वारा नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत पुराने जीर्ण/क्षीर्ण गिरासू भवनों के पुनर्निर्माण के प्रकरणों के निस्तारण हेतु एक समिति का गठन किया गया है।

पुनर्निर्माण से सम्बन्धित प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पुनः जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 11वीं बोर्ड बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2021 के मद संख्या-11.07 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐसे प्रकरण जो हरित क्षेत्र यूज जोन, विशेष वनाच्छादित यूज जोन एवं बाढ़ प्रभावित यूज जोन के अन्तर्गत आते हैं, में पुनर्निर्माण हेतु गठित समिति की आख्या प्राप्त कर बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जाय।

अन्य यूज जोन में 100.00 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में निर्मित भवनों के पुनर्निर्माण प्रकरणों को उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के स्तर से सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये स्वीकृति की कार्यवाही की जाय। इससे इतर समस्त प्रकार के पुनर्निर्माण के प्रकरणों में समिति की आख्या प्राप्त कर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। प्रश्नगत भूखण्ड का क्षेत्रफल 207.43 वर्गमीटर है।

प्रस्तुत पुनर्निर्माण मानचित्र के अनुसार प्रश्नगत विद्यमान एवं प्रस्तावित पुनर्निर्माण का विवरण निम्नानुसार है:-

19

(1) विद्यमान जीर्ण-क्षीर्ण भवन—

क्र.सं.	भूखण्ड क्षेत्रफल	विद्यमान जीर्ण-क्षीर्ण का आच्छादित क्षेत्रफल	विद्यमान तल	भवन की ऊँचाई
1.	207.43	143.32 वर्गमीटर	भूतल एवं प्रथम तल	भवन की कुल ऊँचाई 4.80 मी० एवं ढालदार भाग 1.50 मी०।

(2) पुनर्निर्माण हेतु प्रस्तावित भवन—

क्र. सं.	भूखण्ड क्षेत्रफल	पुनर्निर्माण हेतु प्रस्तावित भवन का आच्छादित क्षेत्रफल	प्रस्तावित तल	भवन की ऊँचाई
1.	207.43	100.04 वर्गमीटर	भूतल एवं प्रथम तल	भवन की कुल ऊँचाई 4.80 मी० एवं ढालदार भाग 1.50 मी०।

म्यूनिसिपिल बोर्ड, नैनीताल से दिनांक 19.09.1983 को स्वीकृत भवन मानचित्र की छायाप्रति संलग्न की गयी है जिसके अनुसार भवन भूतल व प्रथम तल में कुल ऊँचाई 7.50 मी० में स्वीकृत है।

(3) गिरासू भवन का प्रमाण-पत्र—गिरासू भवन होने के सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-263 के अन्तर्गत पत्रांक-591/XII-1MB(ME) दिनांक 22.09.2021 की प्रति प्रस्तुत की गयी है जिसमें भवन अत्यधिक जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में है जिस कारण संरचना के कभी भी गिरने की संभावना के दृष्टिगत जानमाल की क्षति होने की भी प्रबल सम्भावना बनी हुई है, का उल्लेख है।

गठित समिति द्वारा आवेदित भवनों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के उपरान्त प्रकरण को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

चूँकि प्रश्नगत भूखण्ड नैनीताल महायोजना के आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत स्थित है तथा क्षेत्रफल 100.00 वर्गमीटर से अधिक अर्थात् 207.43 वर्गमीटर है, अतः जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की ग्यारवीं बोर्ड बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2021 के मद संख्या-11.07 में लिये गये निर्णयानुसार प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

कार्यवाही:— प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से भवन के पुनर्निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या— 16.07

प्रधानाचार्य, सेंट जोसफ कॉलेज, नैनीताल द्वारा कॉलेज परिसर अन्तर्गत विद्यमान दो मंजिले धोबी निवास बिल्डिंग (ब्लॉक-एच) के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 15वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03.01.2022 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में पुनर्निर्माण हेतु गठित समिति की आख्या प्राप्त कर प्रकरण पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रधानाचार्य, सेंट जोसफ कॉलेज, नैनीताल द्वारा कॉलेज परिसर अन्तर्गत विद्यमान दो मंजिले धोबी निवास बिल्डिंग (ब्लॉक-एच) के पुनर्निर्माण हेतु मानचित्र आवेदन दिनांक 30.12.2021 को आवेदन किया गया है।

नैनीताल महायोजना में प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग “विद्यालय” यूज जोन के अन्तर्गत प्रदर्शित है व जी०एस०आई० के जोन-4 के अन्तर्गत है। विद्यालय भवन सामुदायिक

सुविधाओं के अन्तर्गत परिभाषित है। महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार अनुमन्य उपयोग के अन्तर्गत रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल, वर्तमान में निर्मित आवासीय भवनों का जीर्णोद्धार अन्य सामुदायिक सुविधा सम्बन्धी समस्त प्रकार के निर्मित भवनों का पुनर्निर्माण होगा।

उपरोक्तानुसार जोनिंग रेगुलेशन के अनुपालन में तकनीकी विवरण निम्न प्रकार है:-

1. **भू-स्वामित्व**—प्रस्तुत स्वामित्व अभिलेखों के अनुसार विक्रय-पत्र वर्ष 1934 में भूखण्ड क्षेत्रफल 10.85 एकड़ अर्थात् 43406.87 वर्गमीटर भूमि का स्वामित्व सेंट जोसफ कॉलेज, नैनीताल के पक्ष में है।
2. **पहुँच मार्ग**— स्थल तल्लीताल से मुख्य राजभवन को जाने वाले मार्ग से लगा हुआ है जिसकी महायोजना में चौड़ाई 4.50 मी० है जो मौके पर विद्यमान है।
3. **भवन की ऊँचाई व तल**— प्रस्ताव 5.50 मी० ऊँचाई में प्रस्तुत किया गया है और ढालदार छत की ऊँचाई 1.20 मी० एवं दो तलों में प्रस्तावित है, जो कि विद्यमान भवन की ऊँचाई व तलों के समान है जिसका भूतल 162.45 वर्गमीटर तथा प्रथम तल 132.55 वर्गमीटर सहित कुल आच्छादित क्षेत्रफल 295.00 वर्गमीटर है।
4. **स्वीकृत मानचित्र**— स्वीकृत मानचित्र के साईट प्लान की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है एवं पुराने भवन के साक्ष्य हेतु स्थल पर विद्यमान निर्मित भवन के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये हैं।
5. **गिरासू भवन हेतु**— नगर पालिका परिषद्, नैनीताल के पत्रांक-4891 दिनांक 24.08.2021 द्वारा भवन को गिरासू भवन की श्रेणी में रखा गया है।
6. **भू-आच्छादन व एफ०ए०आर०**— पूर्ण परिसर में निर्मित भवनों के सापेक्ष भू-आच्छादन 17.27 प्रतिशत व एफ०ए०आर० 0.35 है, जो अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। वर्तमान में मात्र एक ब्लॉक का पुनर्निर्माण (धोबी निवास) प्रस्तावित है।

चूँकि प्रश्नगत प्रकरण पुनर्निर्माण से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की चतुर्थ बोर्ड बैठक दिनांक 07.08.2018 में पारित निर्णय द्वारा नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत पुराने जीर्ण/क्षीर्ण गिरासू भवनों के पुनर्निर्माण के प्रकरणों के निस्तारण हेतु एक समिति का गठन किया गया है।

पुनर्निर्माण से सम्बन्धित प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पुनः जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 11वीं बोर्ड बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2021 के मद संख्या-11.07 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐसे प्रकरण जो हरित क्षेत्र यूज जोन, विशेष वनाच्छादित यूज जोन एवं बाढ़ प्रभावित यूज जोन के अन्तर्गत आते हैं, में पुनर्निर्माण हेतु गठित समिति की आख्या प्राप्त कर बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जाय।

अन्य यूज जोन में 100.00 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में निर्मित भवनों के पुनर्निर्माण प्रकरणों को उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के स्तर से सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये स्वीकृति की कार्यवाही की जाय। इससे इतर समस्त प्रकार के पुनर्निर्माण के प्रकरणों में समिति की आख्या प्राप्त कर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

गठित समिति द्वारा आवेदित भवनों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के उपरान्त प्रकरण को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

191

अतः बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुपालन में सेंट जोसफ कॉलेज परिसर, नैनीताल अन्तर्गत विद्यमान दो मंजिले (धोबी निवास बिल्डिंग) के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जीर्ण-क्षीर्ण भवन का निरीक्षण करा लिया जाए कि प्रस्तावित भवन का पुनर्निर्माण भविष्य हेतु आवश्यक है अथवा नहीं। तदनुसार प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

मद संख्या-16.08

श्रीमती अल्का अग्रवाल पत्नी श्री एस0के0 अग्रवाल द्वारा स्नोडन कम्पाउण्ड, मल्लीताल, नैनीताल में विद्यमान दो मंजिले मुख्य आवासीय भवन एवं किचन ब्लॉक के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 15वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03.01.2022 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में पुनर्निर्माण हेतु गठित समिति की आख्या प्राप्त कर प्रकरण पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्रीमती अल्का अग्रवाल पत्नी श्री एस0के0 अग्रवाल द्वारा स्नोडन कम्पाउण्ड, मल्लीताल, नैनीताल में विद्यमान दो मंजिले मुख्य आवासीय भवन एवं किचन ब्लॉक के पुनर्निर्माण हेतु दिनांक 30.12.2021 द्वारा मानचित्र आवेदन किया गया है।

नैनीताल महायोजना में प्रश्नगत पुनर्निर्माण स्थल का भू-उपयोग "आवासीय" यूज जोन (निम्न घनत्व) के अन्तर्गत प्रदर्शित है व जी0एस0आई0 के जोन-3 के अन्तर्गत है। महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार अनुमन्य भू-उपयोग के अन्तर्गत-रिटैनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल, आवासीय भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण एवं विस्तार, निर्मित आवासीय भवनों का जीर्णोद्धार है।

उपरोक्तानुसार जोनिंग रेगुलेशन के अनुपालन में तकनीकी विवरण निम्न प्रकार है:-

1. भू-स्वामित्व-प्रस्तुत स्वामित्व अभिलेखों के अनुसार विक्रय-पत्र दिनांक 07.03.2006 एवं नगर पालिका परिषद्, नैनीताल के कर निर्धारण समिति के प्रस्ताव संख्या-21 दिनांक 29.08.2006 के अनुसार भूखण्ड स्नोडन कम्पाउण्ड, अयारपाटा, मल्लीताल, नैनीताल स्थित मुख्य भवन, किचन ब्लॉक, अस्तबल, आउट हाउस, लैट्रिन ब्लॉक, गैराज व टिनशैड जिनका निर्मित क्षेत्रफल 504.70 वर्गमीटर व रिक्त भूमि जिसका क्षेत्रफल 10501.85 वर्गमीटर भूमि का स्वामित्व श्रीमती अल्का अग्रवाल पत्नी श्री एस0के0 अग्रवाल के पक्ष में है। वर्तमान में मात्र मुख्य भवन एवं किचन का पुनर्निर्माण का प्रस्ताव है।
2. पहुँच मार्ग- प्रश्नगत स्थल को अपर आयारपाटा मार्ग जिसका महायोजना में मार्गाधिकार 4.50 मी0 आरक्षित है, से पहुँच उपलब्ध है।
3. भवन की ऊँचाई व तल- मुख्य भवन हेतु प्रस्ताव 8.55 मी0 ऊँचाई में प्रस्तुत किया गया है और ढालदार छत की ऊँचाई 1.20 मी0 एवं दो तलों में प्रस्तावित है, जो कि विद्यमान भवन की ऊँचाई व तलों के समान है जिसका भूतल 205.92 वर्गमीटर तथा प्रथम तल 120.68 वर्गमीटर सहित कुल आच्छादित क्षेत्रफल 326.60 वर्गमीटर है व किचन ब्लॉक का प्रस्ताव 43.74 वर्गमीटर जो कि भूतल में पूर्व विद्यमान के अनुसार प्रस्तावित है।

4. स्वीकृत मानचित्र— म्यूनिसिपल बोर्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 06.10.1917 में स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है जिसमें मुख्य भवन एवं किचन ब्लॉक अंकित है तथा मौके पर भी विद्यमान है। पुराने भवन के साक्ष्य हेतु स्थल पर विद्यमान निर्मित भवन के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये हैं।

5. भू-आच्छादन व एफ0ए0आर0— पूर्ण परिसर में निर्मित भवनों के सापेक्ष भू-आच्छादन 4.02 प्रतिशत व एफ0ए0आर0 0.05 है, जो अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। वर्तमान में मात्र मुख्य भवन एवं किचन ब्लॉक का पुनर्निर्माण प्रस्तावित है।

चूंकि प्रश्नगत प्रकरण पुनर्निर्माण से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की चतुर्थ बोर्ड बैठक दिनांक 07.08.2018 में पारित निर्णय द्वारा नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत पुराने जीर्ण/क्षीर्ण गिरासू भवनों के पुनर्निर्माण के प्रकरणों के निस्तारण हेतु एक समिति का गठन किया गया है।

पुनर्निर्माण से सम्बन्धित प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पुनः जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 11वीं बोर्ड बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2021 के मद संख्या-11.07 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐसे प्रकरण जो हरित क्षेत्र यूज जोन, विशेष वनाच्छादित यूज जोन एवं बाढ़ प्रभावित यूज जोन के अन्तर्गत आते हैं, में पुनर्निर्माण हेतु गठित समिति की आख्या प्राप्त कर बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जाय।

अन्य यूज जोन में 100.00 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में निर्मित भवनों के पुनर्निर्माण प्रकरणों को उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के स्तर से सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये स्वीकृति की कार्यवाही की जाय। इससे इतर समस्त प्रकार के पुनर्निर्माण के प्रकरणों में समिति की आख्या प्राप्त कर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

गठित समिति द्वारा आवेदित भवनों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के उपरान्त प्रकरण को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुपालन में श्रीमती अल्का अग्रवाल पत्नी श्री एस0के0 अग्रवाल द्वारा स्नोडन कम्पाउण्ड, मल्लीताल, नैनीताल में विद्यमान दो मंजिले एकल आवासीय मुख्य आवासीय भवन एवं किचन ब्लॉक के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:— प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जीर्ण-क्षीर्ण भवन का निरीक्षण करा लिया जाए कि प्रस्तावित भवन का पुनर्निर्माण भविष्य हेतु आवश्यक है अथवा नहीं। तदनुसार प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

मद संख्या— 16.09

श्री सुनील साह पुत्र श्री मदन लाल साह द्वारा पीटर्स फील्ड कॉटेज, मल्लीताल, नैनीताल विद्यमान जीर्णक्षीर्ण आउट हाउस के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में।

श्री सुनील साह पुत्र श्री मदन लाल साह द्वारा पीटर्स फील्ड कॉटेज, मल्लीताल, नैनीताल विद्यमान दो मंजिले जीर्णक्षीर्ण आउट हाउस के पुनर्निर्माण हेतु विक्रय-पत्र, दाखिल-खारिज की प्रतियां संलग्न करते हुये दिनांक 24.08.2021 द्वारा मानचित्र आवेदन किया गया है।

नैनीताल महायोजना में प्रश्नगत पुनर्निर्माण स्थल का भू-उपयोग "आवासीय" यूज जोन (निम्न घनत्व) के अन्तर्गत प्रदर्शित है व जी0एस0आई0 के जोन-3 के अन्तर्गत है। महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार अनुमन्य भू-उपयोग के अन्तर्गत-रिटैनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल, आवासीय भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण एवं विस्तार, निर्मित आवासीय भवनों का जीर्णोद्धार है।

चूंकि प्रश्नगत प्रकरण पुनर्निर्माण से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की चतुर्थ बोर्ड बैठक दिनांक 07.08.2018 में पारित निर्णय द्वारा नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत पुराने जीर्ण/क्षीर्ण गिरासू भवनों के पुनर्निर्माण के प्रकरणों के निस्तारण हेतु एक समिति का गठन किया गया है।

पुनः जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 11वीं बोर्ड बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2021 के मद संख्या-11.07 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐसे प्रकरण जो हरित क्षेत्र यूज जोन, विशेष वनाच्छादित यूज जोन एवं बाढ़ प्रभावित यूज जोन के अन्तर्गत आते हैं, में पुनर्निर्माण हेतु गठित समिति की आख्या प्राप्त कर बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जाय।

अन्य यूज जोन में 100.00 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में निर्मित भवनों के पुनर्निर्माण प्रकरणों को उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के स्तर से सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये स्वीकृति की कार्यवाही की जाय।

गठित समिति द्वारा आवेदित भवनों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के उपरान्त प्रकरण को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार जोनिंग रेगुलेशन के अनुपालन में तकनीकी विवरण निम्न प्रकार है:-

1. भू-स्वामित्व— प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 17.12.1916 एवं आपसी बंटवारा दिनांक 31.03.1978 के आधार पर नगर पालिका परिषद्, नैनीताल के कर निर्धारण समिति का प्रस्ताव संख्या-1, दिनांक 06.05.1982 के अनुसार प्रमाणित घर बंटवारे के आधार पर दुर्गा निवास का पूर्वी भाग व उससे लगी भूमि लॉन एवं किचन व पीटर्स कॉटेज व आउट हाउस व उससे लगी भूमि व टेनिस कोर्ट श्री सुनील के नाम पर पालिका अभिलेखों में दर्ज है।
प्रस्तुत मानचित्र पीटर्स फील्ड, मल्लीताल, नैनीताल स्थित आउट आउस का है। परिसर का कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 2729.87 वर्गमीटर में है जिसकी पुष्टि आवेदक के पक्ष में जिलाधिकारी कार्यालय, नैनीताल के पत्रांक-8275 दिनांक 30.07.2019 से होती है।
2. पहुँच मार्ग— प्रश्नगत स्थल के सम्मुख ए0टी0आई0 को जाने वाले मार्ग 4.30 मी0 आरक्षित है, से पहुँच उपलब्ध है।
3. भवन की ऊँचाई व तल— पूर्व स्वीकृति के अनुसार भूतल 2.85 मी0 व प्रथम तल 1.80 मी0 कुल 4.55 मी0 है, के अनुसार ही प्रस्तावित है।
4. स्वीकृत मानचित्र— म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा उक्त आउट हाउस की दिनांक 12.01.1922 द्वारा निर्मित किये जोन की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसका उल्लेख म्यूनिसिपल बोर्ड के मानचित्र दिनांक 19.02.1929 में भी है।
5. भू-आच्छादन व एफ0ए0आर0— पूर्व निर्मित भवन में सड़क की ओर 1.20 मी0 चौड़ाई छोड़ते हुये भूतल 96.78 वर्गमीटर के सापेक्ष 73.13 वर्गमीटर तथा प्रथम तल

96.78 वर्गमीटर के स्थान पर 73.13 वर्गमीटर सहित कुल 146.26 वर्गमीटर में दो मंजिले भवन के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव है।

6. गिरासू भवन पत्र— नगर पालिका परिषद्, नैनीताल के पत्रांक-126/XV-18 दिनांक 16.06.2020 के अनुसार मल्लीताल, पीटर्स फील्ड कॉटेज के जीर्ण-क्षीर्ण आउट हाउस अत्यधिक जीर्ण-क्षीर्ण खण्डहर अवस्था में है जो कभी भी गिर सकता है।

अतः बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुपालन में श्री सुनील साह पुत्र श्री मदन लाल साह द्वारा पीटर्स फील्ड कॉटेज, मल्लीताल, नैनीताल में विद्यमान दो मंजिले जीर्णक्षीर्ण आउट हाउस के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से भवन के पुनर्निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या- 16.10

श्री दिलेर सिंह पुत्र स्व० चरनजीत सिंह द्वारा रनवीर गार्डन, डहरिया, मुखानी में होटल भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन मानचित्र आवेदन संख्या-NDA/NC/0119/21-22/RE1 दिनांक 10.09.2021 के अन्तर्गत मार्ग की चौड़ाई के मानकों में शिथिलता के सम्बन्ध में।

श्री दिलेर सिंह पुत्र स्व० चरनजीत सिंह द्वारा रनवीर गार्डन, डहरिया, मुखानी में होटल भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन मानचित्र आवेदन संख्या-NDA/NC/0119/21-22/RE1 दिनांक 10.09.2021 किया गया है। प्रस्ताव स्थल पर पूर्व में निर्मित बैंकट हॉल को होटल भवन में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित है।

हल्द्वानी में महायोजना लागू नहीं है। प्रस्ताव होटल भवन का प्रस्तुत किया गया है। विनियमानुसार प्रथम प्राथमिकता पहुँच मार्ग एवं भूखण्ड क्षेत्रफल की है जो क्रमशः लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति के अनुसार क्रमशः 10.00 मी० उपलब्ध है तथा भूखण्ड क्षेत्रफल 6774.56 वर्गमीटर, जो अन्य होटल की श्रेणी में आता है। अतः उपनियमानुसार पहुँच मार्ग 12.00 मी० आवश्यक होने की दशा में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति के अनुसार 1.00 मी० सड़क विस्तार छोड़ते हुये सड़क चौड़ाई 12.00 मी० किये जाने का अनुरोध आवेदक द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.12.2021 में किया गया है।

पहुँच मार्ग मौके पर 10.00 मी० होने की दशा में शासनादेश संख्या-1311/V-2/21-10 (आ०)/2020 दिनांक 26.07.2021 के बिन्दु-1.3 (2) में उल्लिखित भवन निर्माण उपविधि-2016 के मानकों में 25 प्रतिशत की शिथिलीकरण अनुमन्य करने का अधिकार सम्बन्धित विकास प्राधिकरण बोर्ड में निहित है। प्रश्नगत प्रस्ताव में मार्ग की चौड़ाई के 12.00 मी० के सापेक्ष 10.00 मी० होने के दृष्टिगत मात्र 16.67 प्रतिशत शिथिलता प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से अनुमन्य है जो 25 प्रतिशत के अन्तर्गत है।

होटल निर्माण हेतु आवश्यक पहुँच मार्ग 12.00 मी० के सापेक्ष स्थल पर विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 10.00 मी० होने से शासनादेश संख्या-1311 दिनांक 26 जुलाई, 2021 के अनुसार मार्ग की चौड़ाई के मानकों में 25 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रस्ताव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 15वीं बोर्ड दिनांक 03.01.2022 के मद संख्या-15.14 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। सहयुक्त नियोजक, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव बैंकट हॉल को होटल भवन हेतु परिवर्तन किये जाने का प्रस्तावित किया गया है जिसमें कान्फ्रेंस हॉल के साथ 08 कमरे प्राविधानित हैं जबकि

प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार होटल हेतु न्यूनतम 20 से अधिक कमरे, खान-पान, बहुउद्देश्य हॉल, यथा- कान्फ्रेंस/प्रदर्शनी हॉल की व्यवस्था आवश्यक है। बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से सम्बन्धित आर्किटेक्ट के माध्यम से नियमानुसार प्रस्ताव तैयार कराते हुये प्रस्तुतीकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 15वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03.01.2022 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रस्ताव पुनः प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति शासनादेशानुसार मात्र पहुँच मार्ग की चौड़ाई में 25 प्रतिशत छूट की शिथिलता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदक द्वारा होटल भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार मानचित्र आवेदन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

मद संख्या- 16.11

श्री मिन्दर सिंह पुत्र स्व० चरनजीत सिंह द्वारा रनवीर गार्डन, डहरिया, मुखानी में होटल भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन मानचित्र आवेदन संख्या- NDA/NC/0121/21-22/RE1 दिनांक 10.07.2021 के अन्तर्गत मार्ग की चौड़ाई के मानकों में शिथिलता के सम्बन्ध में।

श्री मिन्दर सिंह पुत्र स्व० चरनजीत सिंह द्वारा रनवीर गार्डन, डहरिया, मुखानी में होटल भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन मानचित्र आवेदन संख्या- NDA/NC/0121/21-22/RE1 दिनांक 10.07.2021 किया गया है। प्रस्ताव स्थल पर पूर्व में निर्मित बैंकट हॉल को होटल भवन में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित है।

हल्द्वानी में महायोजना लागू नहीं है। प्रस्ताव होटल भवन का प्रस्तुत किया गया है। विनियमानुसार प्रथम प्राथमिकता पहुँच मार्ग एवं भूखण्ड क्षेत्रफल की है जो क्रमशः लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति के अनुसार क्रमशः 10.00 मी० उपलब्ध है तथा भूखण्ड क्षेत्रफल 4979.82 वर्गमीटर जो अन्य होटल की श्रेणी में आता है। अतः उपनियमानुसार पहुँच मार्ग 12.00 मी० आवश्यक होने की दशा में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति के अनुसार 1.00 मी० सड़क विस्तार छोड़ते हुये सड़क चौड़ाई 12.00 मी० किये जाने का अनुरोध आवेदक द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.12.2021 में किया गया है।

पहुँच मार्ग मौके पर 10.00 मी० होने की दशा में शासनादेश संख्या-1311/V-2/21-10 (आ०)/2020 दिनांक 26.07.2021 के बिन्दु-1.3 (2) में उल्लिखित भवन निर्माण उपविधि-2016 के मानकों में 25 प्रतिशत की शिथिलीकरण अनुमन्य करने का अधिकार सम्बन्धित विकास प्राधिकरण बोर्ड में निहित है। प्रश्नगत प्रस्ताव में मार्ग की चौड़ाई के 12.00 मी० के सापेक्ष 10.00 मी० होने के दृष्टिगत मात्र 16.67 प्रतिशत शिथिलता प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से अनुमन्य है जो 25 प्रतिशत के अन्तर्गत है।

होटल निर्माण हेतु आवश्यक पहुँच मार्ग 12.00 मी० के सापेक्ष स्थल पर विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 10.00 मी० होने से शासनादेश संख्या-1311 दिनांक 26 जुलाई, 2021 के अनुसार मार्ग की चौड़ाई के मानकों में 25 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रस्ताव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 15वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03.01.2022 के मद संख्या-15.15 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। सहयुक्त नियोजक, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव बैंकट हॉल को होटल भवन हेतु परिवर्तन किये जाने का

प्रस्तावित किया गया है जिसमें कान्फ्रेंस हॉल के साथ 09 कमरे प्राविधानित हैं जबकि प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार होटल हेतु न्यूनतम 20 से अधिक कमरे, खान-पान, बहुउद्देश्य हॉल, यथा- कान्फ्रेंस/प्रदर्शनी हॉल की व्यवस्था आवश्यक है। बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से सम्बन्धित आर्किटेक्ट के माध्यम से नियमानुसार प्रस्ताव तैयार कराते हुये प्रस्तुतीकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 15वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03.01.2022 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रस्ताव पुनः प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति शासनादेशानुसार मात्र पहुँच मार्ग की चौड़ाई में 25 प्रतिशत छूट की शिथिलता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदक द्वारा होटल भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार मानचित्र आवेदन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

मद संख्या- 16.12

नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जी0एस0आई0 के जोन-1 एवं 2 में पूर्व से निर्मित विद्यमान वैध भवनों एवं महायोजना लागू होने से पूर्व नैनीझील से 30.00 मी0 की परिधि में निर्मित वैध भवनों के मरम्मत/ पुनर्निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या-920/न0वि0/01-10(न0वि)/आ./01 दिनांक 21 अप्रैल, 2001 द्वारा नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत मात्र जोन-03 एवं 04 में निजी पारिवारिक प्रयोजन हेतु एकल आवासीय भवनों के निर्माण की अनुमन्यता कतिपय प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन प्रदान की गयी थी, तदोपरान्त शासनादेश संख्या-223 (1)श0विआ0-0-10(एनवि/ए)/01, दिनांक 13 जनवरी, 2004 द्वारा जोन-01 एवं 02 में किसी भी प्रकार के निर्माण को प्रतिबन्धित किया गया। जी0एस0आई0 जोन के सम्बन्ध में मा0 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा भी शासनादेश संख्या-1465 /V-2-2015-30(रिट)2012 टी.यू.-1 दिनांक 28 अगस्त, 2015 द्वारा भी नैनीताल महायोजना क्षेत्र के जोन-1, जोन-2, सूखाताल एवं इससे लगे वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अग्रिम आदेशों तक अनुमन्य न किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

जनहित याचिका संख्या-31/2012 प्रो0 अजय सिंह रावत बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 13.07.2015 में पारित आदेश एवं याचिका में पारित अन्तिम आदेश दिनांक 27.08.2019 में भी जी0एस0आई0 जोन-1 एवं 2 में निर्मित अनधिकृत निर्माणों को चिन्हित करते हुये चरणबद्ध रूप में ध्वस्तीकरण करते हुये विस्थापन की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि अप्रैल, 2001 से पूर्व नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत नगर पालिका परिषद, नैनीताल एवं वृहत्तर नैनीताल विकास प्राधिकरण/नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा जी0एस0आई0 जोन-01 एवं 02 में कतिपय भवनों को स्वीकृत किया गया है एवं तत्समय के कतिपय अनधिकृत निर्माण भी अवस्थित है। परन्तु उपरोक्त शासनादेशों के क्रम में नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत वर्ष-2001 के उपरान्त जी0एस0आई0 जोन-01 एवं 02 में अवस्थित स्वीकृत एवं अनधिकृत दोनों प्रकार के निर्मित भवनों के जीर्णोद्धार/मरम्मत तथा पुनर्निर्माण अनुमन्य नहीं किया जा रहा है। जीर्णोद्धार/मरम्मत की स्वीकृति अनुमन्य नहीं किये जाने के कारण जी0एस0आई0 जोन-01

एवं 02 में पूर्व से अवस्थित भवनों की स्थिति कांफी जीर्ण-क्षीर्ण हो चुकी है तथा कई भवन जीर्णोद्धार/मरम्मत की अनुमति अनुमन्य न किये जाने के कारण गिराऊ स्थिति में आ चुके हैं।

सम्बन्धित भवन स्वामियों द्वारा भवनों के जीर्णोद्धार/मरम्मत की अनुमति हेतु लम्बे समय से बार-बार अनुरोध किया जा रहा है परन्तु शासनादेशों के अनुपालन में जीर्णोद्धार/मरम्मत की अनुमति प्रदान नहीं की जा पा रही है।

2- नैनीताल महायोजना वर्ष 1995-2011 दिनांक 18.09.1998 से प्रभावी है जो वर्तमान तक प्रभाव में है। भीमताल महायोजना वर्ष 1995-2011 से वर्तमान तक प्रभावी है। उक्त दोनों में प्राकृतिक जल स्रोत/झील के 30.00 मीटर के दायरे में निर्माण अनुमन्य नहीं है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्रों में महायोजना प्रभावी होने से पूर्व कतिपय भवन झीलों के 30.00 मीटर के दायरे में वैध अनुमति से निर्मित थे जो वर्तमान में भी अवस्थित हैं। परन्तु मरम्मत/पुनर्निर्माण की अनुमति अनुमन्य न होने से उनमें से कतिपय भवनों की स्थिति जीर्ण-क्षीर्ण हो चुकी है।

अतः नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जी0एस0आई0 जोन- 01 एवं 02 में पूर्व से निर्मित विद्यमान वैध भवनों के अर्थात् वर्ष 2001 से पूर्व से वैध अनुज्ञा के क्रम में निर्मित भवनों के जीर्णोद्धार/मरम्मत की अनुमति प्रदान किये जाने तथा महायोजना लागू होने से पूर्व से झील के 30.00 मीटर के दायरे में निर्मित वैध निर्माणों की मरम्मत/पुनर्निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध में शासन स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जी0एस0आई0 जोन- 01 एवं 02 में पूर्व से निर्मित विद्यमान वैध भवनों के अर्थात् वर्ष 2001 से पूर्व से वैध अनुज्ञा के क्रम में निर्मित भवनों तथा महायोजना लागू होने से पूर्व से झील के 30.00 मीटर के दायरे में निर्मित वैध निर्माणों की मात्र मरम्मत की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु दिशा-निर्देश प्राप्त करने के लिये प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया जाए।

मद संख्या- 16.13

नौकुचियाताल झील में पर्यटन विकास परिषद् द्वारा ए0डी0बी0 योजना के अन्तर्गत स्थापित एयरेशन कार्य के संचालन एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में।

नौकुचियाताल झील में एयरेशन कार्य उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् की पी0आई0यू0, पर्यटन संरचना निवेश कार्यक्रम, भीमताल द्वारा ए0डी0बी0 के अन्तर्गत वर्ष 2014 में प्रारम्भ कराते हुये दिनांक 10.05.2015 में एयरेशन सिस्टम स्थापित किया गया। तदोपरान्त निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार रख-रखाव एवं संचालन का कार्य दिनांक 10.05.2018 तक निविदा उपरान्त चयनित संस्था मै0 ग्लोबल एक्वा ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, प्रा0लि0, रुद्रपुर द्वारा किया गया। अनुबन्ध की कुल धनराशि ₹12.70 करोड़ थी जिसमें एयरेशन सिस्टम की स्थापना, तीन वर्ष हेतु संचालन एवं रख-रखाव एवं बायोमैन्यूपुलेशन का कार्य सम्मिलित था। बायोमैन्यूपुलेशन का कार्य मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जी0बी0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर द्वारा किया जाना था तथा भुगतान अनुबन्धित

फर्म मै0 ग्लोबल एक्वा ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, प्रा0लि0, रुद्रपुर द्वारा किया जाना था। दिनांक 10.05.2018 के उपरान्त योजना को सिंचाई विभाग को हस्तगत किया जाना था परन्तु सिंचाई विभाग द्वारा असहमति प्रदान किये जाने के कारण पर्यटन विकास परिषद् के निर्देशों के क्रम में संचालन एवं रख-रखाव का कार्य मै0 ग्लोबल एक्वा ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, प्रा0लि0, रुद्रपुर द्वारा जारी रखा गया। माह मई, 2018 के उपरान्त एयरेशन कार्य के संचालन एवं रख-रखाव हेतु कोई भुगतान फर्म को नहीं किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 16 जून, 2020 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एस0एल0एसी0 की बैठक में निर्णय हुआ कि योजना के अन्य विभाग को हस्तगत होने तक संचालन एवं रख-रखाव का कार्य अनुबन्धित संस्था द्वारा किया जाए। सिंचाई विभाग को हस्तगत न होने की दशा में पर्यटन विकास परिषद् एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये। मई, 2018 के उपरान्त भुगतान न होने के कारण मशीनों की ओवरहॉलिंग एवं अन्य कार्य न होने के कारण वर्तमान में लगभग 3 माह से एयरेशन कार्य बन्द है।

नौकुचियाताल में एयरेशन सिस्टम के संचालन एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में दिनांक 04.03.2022 को उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की अध्यक्षता में वर्चुवल माध्यम से बैठक सम्पन्न हुई थी जिसमें सिंचाई विभाग, नगर पंचायत, भीमताल, अनुबन्धित संस्था, पी0आई0यू0, पर्यटन संरचना भीमताल, उत्तराखण्ड मत्स्य विभाग, भीमताल, डीन, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जी0बी0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर उपस्थित थे।

सिंचाई विभाग द्वारा एयरेशन सिस्टम के संचालन एवं रख-रखाव हेतु प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ से अधिक की धनराशि का व्यय होने के दृष्टिगत उक्त कार्य किये जाने में असमर्थता व्यक्त की गयी।

एयरेशन सिस्टम के संचालन हेतु धनराशि की उपलब्धता के सम्बन्ध में झील में सिंचाई विभाग एवं जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा स्वीकृति उपरान्त संचालित जिप लाईन के संचालन पर एक निर्धारित शुल्क का प्राविधान, झील में उसके आकार के अनुरूप हाउस बोट का प्राविधान, झील के चारों तरफ उपलब्ध राजस्व भूमि को चिन्हित करते हुये पार्किंग निर्माण, झील में मछली पालन करते हुये निविदा के माध्यम से आय स्रोत विकसित किये जाने पर विचार किया गया। मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन, भीमताल द्वारा मछली पालन एवं निविदा के माध्यम से विक्रय किये जाने पर विधिक रूप से कोई अड़चन होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

अतः नौकुचियाताल में स्थापित एयरेशन सिस्टम के संचालन एवं रखवाव हेतु धनराशि की उपलब्धता हेतु आय स्रोत विकसित किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एयरेशन कार्य के संचालन एवं रख-रखाव हेतु धनावंटन के लिये शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए।
2. नौकुचियाताल झील में मछली पालन हेतु मत्स्य विभाग के माध्यम से प्रारम्भिक आंकलन तैयार कर लिया जाए।
3. झील के किनारे अवस्थित राजस्व भूमि का चिन्हांकन करते हुये पार्किंग निर्माण की कार्यवाही की जाए।
4. आय के अन्य स्रोत यथा-जिप लाईन टैक्स, बोटिंग के अतिरिक्त अन्य जलक्रीड़ा गतिविधि पर टैक्स एवं हाउस बोट स्थापित करते हुये आय

प्राप्त करने की सम्भावनाओं एवं सम्बन्धित पक्षों से विचार-विमर्श करते हुये प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त निर्देशों के साथ नौकुचियाताल में स्थापित एयरेशन सिस्टम को सम्बन्धित विभाग से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल को हस्तान्तरित करने की पत्रावली तैयार करते हुए अनुमोदन हेतु आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

मद संख्या- 16.14

भीमताल टापू में अवस्थित एक्वेरियम कम कॉफी हाउस (बिना किचन एवं शौचालय) के संचालन हेतु सांय 6:00 बजे के उपरान्त रात्रि 9:00 बजे तक बोट संचालन की अनुमति के सम्बन्ध में।

भीमताल टापू में अवस्थित एक्वेरियम के साथ-साथ कॉफी हाउस (बिना किचन एवं शौचालय के) तथा भीमताल झील के किनारे पार्किंग के अधोतल में अवस्थित प्राधिकरण के पूर्व उप कार्यालय को पर्यटन के अनुरूप विकसित किये जाने व लीज रेंट पर दिये जाने हेतु निविदा के माध्यम से फर्म मै0 राधेकृष्ण इण्टरप्राइजेज, गिरजा सदन, हल्द्वानी के साथ अनुबन्ध संख्या-10 दिनांक 22.12.2020 को सम्पादित किया गया है। अनुबन्ध अवधि दिनांक 01.04.2021 से 15 वर्षों हेतु है। प्रथम पाँच वर्षों हेतु लीज रेंट की धनराशि ₹25.51 लाख+ जी0एस0टी0 है, उसके उपरान्त प्रत्येक 03 वर्षों के अन्तराल पर 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्राविधान है।

टापू स्थित एक्वेरियम कम कॉफी हाउस (बिना किचन एवं शौचालय) को दिनांक 01.04.2021 से पर्यटकों हेतु संचालित है। अनुबन्धित संस्था द्वारा अपने पत्र दिनांक 16.02.2022 द्वारा कोरोनाकाल के दौरान पर्यटकों के आवाजाही न होने से काफी नुकसान होने से अवगत कराते हुये एक्वेरियम कम कॉफी हाउस (बिना किचन एवं शौचालय) के संचालन हेतु सांयकाल 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक 04 बोटों के अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है कि पर्यटकों के सुरक्षा, बोट सुरक्षा, तैराकी सुरक्षाकर्मी व पर्याप्त लाईफ जैकेट की व्यवस्था उनके द्वारा की जायेगी तथा समस्त जिम्मेदारी उनकी होगी।

वर्तमान में भीमताल झील का स्वामित्व सिंचाई विभाग के अधीन है। बोटों के संचालन की अनुमति सिंचाई विभाग द्वारा ही निर्गत की जाती है। अतः एक्वेरियम कम कॉफी हाउस (बिना किचन एवं शौचालय) के संचालन हेतु सांयकाल 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक 04 बोटों के अनुमति पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि बोटों का संचालन सांयकाल 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक किये जाने से पूर्व बोट यूनियन एवं अन्य के सुझाव/अनापत्ति प्राप्त करते हुये प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।



मद संख्या- 16.15

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-309/2018 "रामनगर पुरानी तहसील की खाली भूमि पर बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जायेगा" के क्रियान्वयन हेतु शासन स्तर से नियुक्त कार्यदायी संस्था मै0 हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 के प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में।

आवास अनुभाग-2, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-59 (1)/V-2-2022/16 (घो0) 2018, दिनांक 11 जनवरी, 2022 द्वारा जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-309/2018 "रामनगर पुरानी तहसील की खाली भूमि पर बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जायेगा" हेतु जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के पत्र संख्या-1436 के क्रम में मै0 हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड को कार्यदायी संस्था के रूप में चयनित/नामित किया गया है।

मा0 मुख्यमंत्री जी की उक्त घोषणा के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था मै0 एच0एस0सी0एल0 को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 14वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.09.2021 के मद संख्या-14.05 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बोर्ड बैठक में मै0 एच0एस0सी0एल0 के प्रतिनिधि द्वारा बैठक के दौरान योजना का एक प्रस्तुतीकरण भी प्रस्तुत किया गया।

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि आवास विभाग को आवंटित भूमि को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल को हस्तान्तरण अथवा प्रबन्धन हेतु उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आवास विभाग से अनुरोध कर लिया जाए। मै0 एच0एस0सी0एल0 के नियोजन विभाग में कार्यदायी संस्था के रूप में सूचिबद्ध होने की पुष्टि कराते हुये कार्यदायी संस्था नामित किये जाने हेतु आवास विभाग को प्रस्ताव संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया। कार्यदायी संस्था नामित होने की दशा में वर्क ऑफ स्कोप के अन्तर्गत ड्राइंग, डिजायन, डी0पी0आर0, निर्माण एवं निर्माण उपरान्त विकसित भवन/स्थल के व्यवसायिक उपयोग का मॉडल/प्रस्ताव तैयार करने एवं तैयार प्रस्ताव के अनुसार विक्रय करने का सार्थक प्रयास करने को सम्मिलित कर टर्म ऑफ रेफरेंस तैयार कर लिया जाए।

उक्त के क्रम में कार्यालय पत्र संख्या-1436 दिनांक 16.10.2021 द्वारा मै0 एच0एस0सी0एल0 को शासन से कार्यदायी संस्था नामित किये जाने का अनुरोध किया गया था। शासन द्वारा मै0 एच0एस0सी0एल0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। शासन द्वारा कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के दृष्टिगत प्राधिकरण कार्यालय के पत्र संख्या-2372 दिनांक 15.03.2022 द्वारा वर्क ऑफ स्कोप के अन्तर्गत ड्राइंग, डिजायन, डी0पी0आर0, निर्माण एवं निर्माण उपरान्त विकसित भवन/स्थल के व्यवसायिक उपयोग का मॉडल/प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

अतः कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार डी0पी0आर0 का प्रस्तुतीकरण एवं प्रस्तुतीकरण उपरान्त अग्रेत्तर निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा तैयार डी0पी0आर0 का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रथम चरण में दो बेसमेंट, लोवर भूतल में कुल 160 वाहनों हेतु पार्किंग का प्राविधान करते हुये कुल ₹17.00 करोड़ का प्रस्ताव है। द्वितीय चरण में अग्रेत्तर तलों में व्यवसायिक दुकान एवं हॉल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

15

बोर्ड प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया कि दो बेसमेंट में पार्किंग एवं लोवर भूतल में व्यवसायिक दुकान एवं हॉल का निर्माण हेतु संशोधित प्रस्ताव फण्ड प्लो के साथ तैयार करवाते हुये आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

मद संख्या- 16.16

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-07/2021 "नैनीताल रोड स्थित जनता बैंकट हॉल के सामने से लेकर तिकोनिया चौराहे तक नहर कवरिंग कर सरफेस पार्किंग का निर्माण किया जायेगा" के तहत चयनित ठेकेदार फर्म मै0 परिहार कन्स्ट्रक्शन, बागेश्वर को अग्रिम धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-07/2021, "नैनीताल रोड स्थित जनता बैंकट हॉल के सामने से लेकर तिकोनिया चौराहे तक नहर कवरिंग कर सरफेस पार्किंग का निर्माण किया जायेगा" के क्रियान्वयन हेतु ई-निविदा उपरान्त चयनित ठेकेदार फर्म मै0 परिहार कन्स्ट्रक्शन, बागेश्वर के साथ अनुबन्ध संख्या-22/2021-22 दिनांक 07.01.2022 को धनराशि ₹4,50,60,775.24 में सम्पादित किया गया है। अनुबन्ध के अनुसार कार्य दिनांक 07.01.2022 से प्रारम्भ करते हुये दिनांक 06.07.2022 तक पूर्ण किया जाना है।

कार्य के तहत नहर कवरिंग में पुरानी क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनर्निर्माण कर उनकी सुदृढ़ीकरण/स्ट्रेंथनिंग की जानी है जिसके उपरान्त प्री-कास्ट आर0सी0सी0 स्लैब से नहर कवर किया जाना है। वर्तमान में जल संस्था के वाटर टैंकों की प्लसिंग से आने वाले 7 से 10 क्यूसेक पानी के सतत प्रवाह के कारण नहर में दीवारों की स्ट्रेंथनिंग की जानी संभव नहीं हो पा रही है। दिनांक 21.02.2021 को जिलाधिकारी, नैनीताल की अध्यक्षता में सिंचाई विभाग, हल्द्वानी के कार्मिकों से उक्त जल की निकासी हेतु होटल सौरव कैंडी के पास राजपुरा नाले में डाईवर्ट करने हेतु बाईपास चैनल सिंचाई विभाग द्वारा आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद निर्माण करने की सहमति बनी है।

अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा बाईपास चैनल के निर्माण तक वर्तमान में केवल प्री-कास्ट स्लैब कास्ट किये जाने जिसमें न्यूनतम 28 दिन का समय लगने के दृष्टिगत प्री-कास्ट स्लैब के निर्माण हेतु सामग्री क्रय किये जाने के लिये धनराशि ₹ 2.00 करोड़ अग्रिम भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्री-कास्ट स्लैब के निर्माण हेतु सामग्री क्रय किये जाने हेतु अग्रिम धनराशि का भुगतान, धनराशि ₹2.50 करोड़ की एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही की जा सकती है। उक्त योजना हेतु के क्रियान्वयन हेतु ₹2.00 करोड़ की धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में प्रस्ताव Scheme for Special Assistance to States for Capital Expenditure के अन्तर्गत कार्यालय पत्र संख्या-2154 दिनांक 18.02.2022 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है जिसमें धनराशि निर्गत होने की सम्भवना है परन्तु धनराशि स्वीकृत होने की दशा में आवंटित धनराशि ₹2.00 करोड़ का उपभोग प्रमाण-पत्र दिनांक 31.03.2022 से पूर्व शासन को उपलब्ध कराया जाना होगा।

अतः मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-07/2021 "नैनीताल रोड स्थित जनता बैंकट हॉल के सामने से लेकर तिकोनिया चौराहे तक नहर कवरिंग कर सरफेस पार्किंग का निर्माण किया जायेगा" के तहत चयनित ठेकेदार फर्म मै0 परिहार कन्स्ट्रक्शन, बागेश्वर द्वारा धनराशि ₹2.50 करोड़ की एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी प्रस्तुत किये जाने पर सामग्री हेतु ₹2.00 करोड़ की अग्रिम धनराशि का भुगतान ठेकेदार फर्म के पक्ष में निर्गत किये जाने एवं

कार्य हेतु Scheme for Special Assistance to States for Capital Expenditure के तहत धनराशि आवंटित होने के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

कार्यवाही:- प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से Scheme for Special Assistance to States for Capital Expenditure के तहत धनराशि आवंटित होने के दृष्टिगत कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि०, नैनीताल के कार्यदायी संस्था नामित किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या- 16.17

सातताल, नैनीताल में राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित भूमि में पार्किंग एवं दुकानों के निर्माण के सम्बन्ध में।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 15वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03.01.2022 के अतिरिक्त बिन्दु संख्या-15.17 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में सातताल, नैनीताल में राजस्व विभाग की भूमि पर पार्किंग एवं अवशेष स्थल पर दुकानों के निर्माण की कार्यवाही हेतु आगणन तैयार किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-2193 दिनांक 23.02.2022 द्वारा कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि०, नैनीताल को आगणन तैयार किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

महाप्रबन्धक (नि०) के पत्र संख्या-4193/10-निर्माण/21-22 दिनांक 11 मार्च, 2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र द्वारा इस कार्यालय पत्र संख्या-2264 दिनांक 04.03.2022 के क्रम में सातताल, जनपद-नैनीताल में पार्किंग निर्माण कार्य का आगणन ₹ 195.39 लाख का आगणन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रस्ताव में सातताल, नैनीताल में पार्किंग निर्माण एवं दुकानों का निर्माण हेतु प्रस्तुत आगणन में राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित भूमि पर 60 वाहनों हेतु पार्किंग एवं 20 दुकानों का निर्माण किये जाने का उल्लेख है। साथ ही मार्ग के सुदृढीकरण एवं विद्युत व्यवस्था का भी प्राविधान किया गया है।

पूर्व में सातताल योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत अन्य चार झीलों हेतु बचत धनराशि एवं अर्जित ब्याज धनराशि के सापेक्ष किया गया था। कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि०, नैनीताल को Scheme for Special Assistance to States for Capital Expenditure के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त होने के दृष्टिगत उक्त योजना को कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि०, नैनीताल को दिनांक 27.05.2021 को हस्तगत किया गया है। योजना हेतु प्राधिकरण स्तर से आरक्षित धनराशि ₹640.00 लाख वर्तमान में अवशेष है। उक्त धनराशि का उपयोग वर्तमान में प्रस्तावित पार्किंग एवं अवशेष दुकानों के निर्माण कार्य में किया जा सकता है।

अतः सातताल, नैनीताल में पार्किंग निर्माण एवं दुकानों का निर्माण हेतु प्रस्तुत आगणन में राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित भूमि पर 60 वाहनों हेतु पार्किंग एवं 20 दुकानों का निर्माण कार्य हेतु कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि०, नैनीताल द्वारा प्रस्तुत आगणन धनराशि ₹195.39 लाख को राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत अन्य चार झीलों हेतु बचत धनराशि एवं ब्याज धनराशि से किये जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:- प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया कि सातताल योजना हेतु पूर्व में धनराशि ₹640.00 लाख का प्राविधान किया गया था जो कि वर्तमान में अवशेष है।

बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से वर्तमान में राजस्व भूमि पर चिह्नित भूमि में प्रस्तावित कार पार्किंग एवं दुकानों के निर्माण हेतु प्रस्तुत आगणन धनराशि ₹195.39 लाख को राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत अन्य चार झीलों हेतु बचत धनराशि एवं ब्याज धनराशि से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा चिह्नित भूमि के हस्तान्तरण हेतु जिलाधिकारी, नैनीताल से अनापत्ति प्राप्त कर ली जाए।

मद संख्या- 16.18

भीमताल बाईपास रोड में अवस्थित नाले एवं भवाली-भीमताल मार्ग में अवस्थित नाले को कवर्ड करते हुये मार्ग चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।

भीमताल में भीमताल-हल्द्वानी मार्ग से बाईपास रोड की ओर सिंचाई विभाग द्वारा नाला निर्मित किया गया है। वर्तमान में हल्द्वानी से भीमताल को आने वाले वाहन बाईपास से होकर आते हैं। उक्त मार्ग में वाहनों के दबाव को देखते हुये उक्त बाईपास मार्ग का चौड़ीकरण की आवश्यकता है। बाईपास रोड से लगते हुये नाले को कवर्ड करते हुये मार्ग चौड़ीकरण किया जा सकता है।

भवाली में भवाली-भीमताल मुख्य मार्ग से हल्द्वानी की ओर कुमाऊँ से आने-जाने वाले समस्त वाहनों का आवागमन होता है। उक्त मार्ग में वाहनों का अत्यधिक दबाव होने के दृष्टिगत मार्ग में अक्सर ट्रैफिक बाधित रहता है। मार्ग से लगते हुये नाले को कवर्ड करते हुये मार्ग चौड़ीकरण किया जा सकता है।

अतः उक्त दोनों मार्गों के चौड़ीकरण हेतु प्रस्ताव तैयार किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड द्वारा मार्गों के चौड़ीकरण का प्रस्ताव आर्किटेक्ट के माध्यम तैयार किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या- 16.19

नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत मल्लीताल, नैनीताल स्थित नगर पालिका परिषद्, नैनीताल के कार्यालय के सम्मुख अवस्थित पार्क एवं पं० दीन दयाल उपाध्याय पार्क के जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में।

नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत मल्लीताल, नैनीताल में स्थित नगर पालिका परिषद्, नैनीताल के कार्यालय के सम्मुख अवस्थित पार्क एवं पं० दीन दयाल उपाध्याय पार्क नगर पालिका के स्वामित्व में हैं। उक्त दोनों पार्क नैनीताल-कालाढूंगी मुख्य मोटर मार्ग में अवस्थित हैं। उक्त दोनों पार्क काफी जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में हैं। मल्लीताल का उक्त क्षेत्र पर्यटन के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है।

अतः पर्यटन के दृष्टिगत उक्त दोनों पार्कों का जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण के कार्य हेतु आर्किटेक्ट के माध्यम से आकर्षक डिजायन तैयार किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित पार्कों के जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण के कार्य हेतु आर्किटेक्ट के माध्यम से आकर्षक डिजायन तैयार कर कार्यवाही किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या- 16.20

श्रीमती दमयन्ती सिंह पत्नी स्व० श्री सुरेश सिंह, बोरा भवन, नियर एस०डी०एम० कोर्ट, नैनीताल रोड, हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की स्थापना के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग-2 के संलग्न पत्र संख्या- House2-MS/1/1/2020-V-2 Aawas Dept (Computer No. 1827) दिनांक 15.02.2022 द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-2, सं०- GE (C)19951/XXXV-2/2021 (1) दिनांक 31.12.2021 के साथ संलग्न श्रीमती दमयन्ती सिंह पत्नी स्व० श्री सुरेश सिंह, बोरा भवन, नियर एस०डी०एम० कोर्ट, नैनीताल रोड, हल्द्वानी, नैनीताल के पत्र दिनांक 23.12.2021 की प्रति संलग्न करते हुये प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये संबंधित महानुभाव/आवेदक को भी अवगत कराने एवं यदि किसी प्रकरण में शासन स्तर से दिशा-निर्देश अपेक्षित हों, तो अपनी संस्तुति सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया है।

आवेदिका द्वारा अपने अनुरोध पत्र में उल्लेख किया गया है कि पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु मानचित्र आवेदन संख्या- NDA/NC/0076/21-22/RE2 दिनांक 21.01.2022 पर सभी वांछित औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त इस आपत्ति के साथ मानचित्र प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था कि पेट्रोल पम्प से आवासीय भवन की दूरी एक साईड में 30 मी० से कम 25 मीटर ही है। पत्र के साथ नवीन पेट्रोल पम्प की स्थापना के सम्बन्ध में मा० न्यायालय, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (N.G.T.) के आदेश दिनांक 18.01.2019 (वाद संख्या-86/2019 श्री ज्ञान प्रकाश उर्फ पप्पू सिंह बनाम भारत सरकार एवं अन्य) की छायाप्रति संलग्न की गई है जिसमें मा० न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के क्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.01.2020 के बिन्दु-एच जो कि रिटेल आउटलेट की स्थापना के सम्बन्ध में निर्धारित PESO की गाईड लाईन के द्वारा मानक निर्धारित किये गये हैं जो निम्नवत् हैं:-

" In case of siting criteria for Petrol Pumps new retail outlet shall not be located within a radial distance of 50 mt. (from fill point/dispensing units/vent pipe whichever be nearest) from school, hospital (10 bed and above) and residential area designated as per local laws. In case of constraints in providing 50 meters distance, the retail outlet shall implement additional safety measures as prescribed by PESO. In no case the distance between new retail outlet from schools, hospitals (10 beds and above) and residential area designated as per local laws shall be less than 30 meters. No high tension line shall pass over the retail outlet."

उपरोक्त मानकानुसार प्रस्तावित स्थल आवास, स्कूल अथवा हॉस्पिटल की स्थिति में 30.00 मी० की दूरी के उपरान्त रिटेल आउटलेट अनुमन्य किया जा सकता है।

फिलिंग स्टेशन की स्थापना से सम्बन्धित उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग-1, देहरादून के शासनादेश संख्या-1647 दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 के नवीन प्राविधान के बिन्दु-1 (ii) के अनुसार आवासीय क्षेत्र/भवन, स्कूल/कॉलेज, अस्पताल से न्यूनतम दूरी 50.00 मी० सुनिश्चित की जायेगी। PESO द्वारा निर्धारित Safety मानकों का अनुपालन होने पर उक्त दूरी 30.00 मी० तक की जा सकेगी परन्तु इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वस्तुतः दूरी कहाँ से मानी जायेगी जबकि उपरोक्त के सम्बन्ध में PESO के उपरोक्त मानकों के अनुसार उक्त दूरी फिल प्वाइंट, डिस्पेंसिंग प्वाइंट/वेन्ट पाईप से दूरी 30.00 मी० होनी आवश्यक है।

वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड के पूर्व व उत्तर दिशा में व्यवसायिक सम्पत्ति एवं आबादी 30.00 मी० से अधिक दूरी पर स्थित है। पश्चिम दिशा में दुकानें (व्यवसायिक) 20.00 मी० की दूरी पर अवस्थित हैं परन्तु दक्षिण दिशा में मिश्रित आबादी जिसमें भूतल के अंशभाग में दुकानें/आवास एवं प्रथम तल में आवास विद्यमान हैं जो लगभग 18.00 मी० की दूरी पर अवस्थित हैं, 30.00 मी० के अन्तर्गत आती हैं।

यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि प्रश्नगत हल्द्वानी क्षेत्र में महायोजना लागू नहीं है जिससे आवासीय क्षेत्र अथवा अन्य निर्माण गतिविधि हेतु भू-उपयोग अधिसूचित नहीं है और न ही उक्त क्षेत्र नगर निगम में आबादी क्षेत्र में दर्ज है।

अंतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में PESO द्वारा निर्धारित Safety मानकों के अनुसार निर्धारित 30.00 मी० की दूरी भूखण्ड के बाउण्ड्री अथवा फिल प्वाइंट, डिस्पेंसिंग प्वाइंट/वेन्ट पाईप से आंकलित की जाय तथा महायोजना लागू न होने व आबादी क्षेत्र में दर्ज न होने की स्थिति में स्थल पर निर्मित निजी भवनों को आबादी क्षेत्र समझा जायेगा अथवा नहीं, के सम्बन्ध में निर्णय हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि PESO द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के अनुसार निर्धारित 30.00 मी० की दूरी फिल प्वाइंट, डिस्पेंसिंग प्वाइंट/वेन्ट पाईप से आंकलित की जाय तथा महायोजना लागू न होने व आबादी क्षेत्र में दर्ज न होने की स्थिति में स्थल पर निर्मित निजी भवनों को आबादी क्षेत्र समझा जायेगा अथवा नहीं, के सम्बन्ध में शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त करने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित कर किया जाए।

मद संख्या- 16.21

डॉ० महेश शर्मा पुत्र स्व० श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, द्वारा ग्राम-सिलौटी पन्त, पट्टी-पूर्वी छःखाता, तहसील व जिला-नैनीताल के खाता संख्या-79 के खेत संख्या-1201, 1204, 1205, 1206, 1207 मध्ये कुल रकबा 04 नाली अर्थात 800.00 वर्गमीटर भूमि में रेस्टोरेन्ट भवन निर्माण हेतु ऑनलाईन मानचित्र आवेदन संख्या-NDA/NC/0136/21-22 (RE-1) दिनांक 23.03.2022 के सम्बन्ध में।

डॉ० महेश शर्मा पुत्र स्व० श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, द्वारा ग्राम-सिलौटी पन्त, पट्टी-पूर्वी छःखाता, तहसील व जिला-नैनीताल के खाता संख्या-79 के खेत संख्या-1201, 1204, 1205, 1206, 1207 मध्ये कुल रकबा 04 नाली अर्थात 800.00 वर्गमीटर भूमि में रेस्टोरेन्ट भवन निर्माण हेतु मानचित्र आवेदन किया गया है।

15

परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत स्थल का भीमताल महायोजना में भू-उपयोग 'हरित पट्टी' प्रदर्शित है जिसमें महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार नौकुचियाताल झील के उच्चतम जल स्तर सीमा से 50.00 मी० दूरी के उपरान्त 'रेस्टोरेन्ट भवन' प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन पर अनुमन्य किया जा सकता है। आवेदक के पास नौकुचियाताल झील के किनारे 800.00 वर्गमीटर भूखण्ड विद्यमान है। प्रश्नगत भूखण्ड का अधिकांश भाग 50.00 मी० दूरी के अन्तर्गत आने वाला भूखण्ड रिक्त छोड़ते हुये अवशेष भाग पर रेस्टोरेन्ट का प्रस्ताव है। प्रस्ताव तकनीकी रूप से उचित है। सभी सम्बन्धित विभाग यथा-नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग व वन विभाग की अनापत्ति हेतु पत्र प्रेषित किये गये हैं।

सभी सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्राप्त होने की दशा में उपनियमानुसार झील से 50.00 मी० दूरी के उपरान्त भूखण्ड पर प्रस्तावित रेस्टोरेन्ट भवन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया की रेस्टोरेन्ट भवन निर्माण हेतु पर्यावरण के अनुकूल/प्री-फैब हल्की निर्माण सामग्री से निर्मित किया जायेगा व नौकुचियाताल झील से प्रस्तावित भूखण्ड की दूरी के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रकरण का निस्तारण किया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि भीमताल महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार नौकुचियाताल झील के उच्चतम जल स्तर सीमा से 50.00 मी० की दूरी के उपरान्त वर्तमान तक स्वीकृत भवन मानचित्रों के सापेक्ष स्थल पर निर्मित भवनों की विवरण तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

मद संख्या-16.22

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल में पर्याप्त अभियन्ताओं की नियुक्ति न होने के दृष्टिगत श्री सी०एम० साह को परियोजना अभियन्ता के रूप में सेवा विस्तार के सम्बन्ध में।

पूर्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नैनीझील एवं अन्य चार झील (खुर्पाताल, नौकुचियाताल, भीमताल एवं सातताल) के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना स्वीकृत की गयी थी जिसमें प्राधिकरण को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्राधिकरण द्वारा श्री चन्द्र मोहन साह को परियोजना अभियन्ता के रूप में संविदा के आधार जून, 2004 में नियुक्त किया गया था।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की अष्टम बोर्ड बैठक एवं बारहवी बोर्ड बैठक दिनांक 06.04.2021 के मद संख्या-12.05 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में श्री साह को 01-01 वर्ष हेतु सेवा विस्तार प्रदान किया गया है जो कि दिनांक 30.04.2022 तक है। बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में श्री साह को ₹66,000.00 प्रतिमाह के आधार पर भुगतान किया जा रहा है।

चूंकि वर्तमान में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है तथा अन्य योजनायें की क्रियान्वित की जानी है। विशेषतः सूखाताल को रिचार्जिंग जोन एवं टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्वाइंट के रूप में विकसित किये जाने एवं सातताल, नैनीताल में सौन्दर्यीकरण कार्ययोजना एवं महत्वपूर्ण योजनायें जो कि झीलों के

संरक्षण से सम्बन्धित हैं, हेतु श्री साह के अनुभव की आवश्यकता होगी, अतः श्री सी0एम0 साह के अनुभव को ध्यान में रखते हुये उनकी सेवा को दिनांक 30 अप्रैल, 2022 के उपरान्त 01 वर्ष हेतु अग्रेत्तर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- बोर्ड प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से श्री सी0एम0 साह को धनराशि ₹66,000.00 प्रतिमाह के आधार पर 30 अप्रैल, 2022 से अग्रेत्तर एक वर्ष हेतु परियोजना अभियन्ता के पद पर योजित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

मद संख्या-16.23 (1)

Related Tor Surface Parking Tradional Multi-level Parking, Mechanical Parking and Cavity Parking हेतु NHIDCL द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि NHIDCL द्वारा प्रस्तुत 05 पार्किंग स्थलों हेतु डी0पी0आर0 तैयार किये जाने के सापेक्ष 01 चयनित स्थल नेशनल होटल के समीप, तल्लीताल, नैनीताल में पार्किंग निर्माण हेतु NHIDCL से डी0पी0आर0 तैयार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या-16.23 (2)

आवास अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-34/V-2/21-10 (आ0)/2020 दिनांक 07.01.2022 में दी गयी व्यवस्थानुसार ईज एप में विकसित किये गये मानचित्र स्वीकृति प्रणाली के सम्बन्ध में।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मानचित्र स्वीकृति हेतु कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या-16.23 (3)

रोपवे/वैकल्पिक/नवीन मोबिलिटी परियोजना के सम्बन्ध में।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के कार्यालय पत्रांक-2422/नैजिविप्रा/2021-22 दिनांक 24.03.2022 द्वारा निम्नांकित प्रेषित प्रस्तावों पर चर्चा की गयी:-

1. नैनीताल से नौकुचियाताल वाया सातताल-भीमताल बाया सूर्यागाँव से डोलमार (नैनीताल-हल्द्वानी मुख्य मोटर मार्ग)।
2. स्नोव्यू, नैनीताल से छोटी हल्द्वानी वाया नारायणनगर, खुरपाताल।

बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से रोपवे/वैकल्पिक/नवीन मोबिलिटी परियोजनाओं के सम्बन्ध में उडा को प्रेषित प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी।

191

मद संख्या-16.23 (4)

हल्द्वानी शहर के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान बनाये जाने हेतु व्यय पर चर्चा।

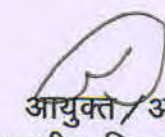
कार्यवाही:- बोर्ड के समक्ष निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:-

- (क) नैनीताल रोड पर नाला निर्माण, पार्किंग निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण तथा ओके होटल से मंगल पड़ाव तक रोड चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार करना।
- (ख) कालाढूंगी मार्ग के चौड़ीकरण की डीपीआर एवं सीमांकन।
- (ग) रामपुर रोड के चार लेन मार्ग की डीपीआर एवं सीमांकन।
- (घ) रोड साईड छोटी-छोटी 3-4 पार्किंग की जगह तथा चिन्हित स्थल पर पार्किंग निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति पर विचार व नगर निगम को धनराशि अवमुक्त पर विचार।
- (ङ) सुशीला तिवारी अस्पताल के सामने पार्किंग निर्माण हेतु कार्य प्रारम्भ पर चर्चा एवं निर्माण हेतु नगर निगम, हल्द्वानी को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये धनावंटन किया जाना प्रस्तावित।

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया कि सुशीला तिवारी अस्पताल के सामने के पार्किंग एवं अन्य छोटी-छोटी पार्किंग निर्माण हेतु नगर निगम, हल्द्वानी को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है तथा पूर्व में सुशीला तिवारी के सामने पार्किंग निर्माण हेतु अवस्थापना समिति से स्वीकृत धनराशि को आवंटन किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की धनराशि से जो भी पार्किंग निर्मित की जायेगी उसमें से प्राप्त होने वाली आय का आधा भाग जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल को दिया जायेगा। शेष कार्यों के डीपीआर आदि तैयार करने एवं सीमांकन करने हेतु संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए जाएं। उक्त कार्यों हेतु धनावंटन किये जाने की सहमति प्रदान की गयी।

अन्त में, उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।


उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल


आयुक्त/अध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल